न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 85/08

1. पून्नाराम पुत्र गुट्टीराम, जाति काछी, निवासी चहल, तहसील बयाना जिला भरतपुर (मृतक)

1/1. गुलाबो पत्नी स्व. पून्नाराम, जाति काछी, निवासी चहल, तहसील बयाना जिला भरतपुर (मृतक)

1/2. शकुन्तला पुत्री मृतक पून्नाराम पत्नी कुमरसैन, जाति काछी निवासी गहनौली, तहसील रूपवास जिला भरतपुर

1/3. चन्दादेवी पुत्री शिवसिंह आयु 17 वर्ष नवीरा पून्नाराम निवासी चहल, तहसील बयाना जिला भरतपुर

1/4 थलेश आयु 13 वर्ष पुत्र शिवसिंह नवीरा पून्नाराम निवासी चहल, तहसील बयाना जिला भरतपुर

1/5 चन्द्रशेखर आयु 10 वर्ष पुत्र शिवसिंह नवीरा पून्नाराम निवासी चहल, तहसील बयाना जिला भरतपुर

नसलिसान जरिए वली व व रफी दादी गुलाबो पत्नी स्व. पून्नाराम जाति काछी, निवासी चहल तहसील बयाना

1/6 विष्णु पुत्र पून्नाराम जाति काछी, निवासी चहल तहसील बयाना

1/7 राजचन्द पुत्र पून्नाराम जाति काछी, निवासी चहल तहसील बयाना

2. बाबूलाल पुत्र गुट्टीराम जाति काछी, निवासी चहल तहसील बयाना

3. चन्देराम पुत्र गुट्टीराम जाति काछी, निवासी चहल तहसील बयाना

4. किशनाराम पुत्र गुट्टीराम जाति काछी, निवासी चहल तहसील बयाना (मृतक)

4/1 मायादेवी पत्नी किशनाराम जाति काछी, निवासी चहल तहसील बयाना

4/2 गजानन्द पुत्र किशनाराम जाति काछी, निवासी चहल तहसील बयाना

4/3 भगवानस्वरूप पुत्र किशनाराम जाति काछी, निवासी चहल तहसील बयाना

4/4 ओमवती पुत्री किशनाराम पत्नी पुष्पेन्द्र जाति काछी, निवासी चहल तहसील बयाना

4/5 गायत्री देवी पुत्री किशनाराम पत्नी बच्चूसिंह, जाति काछी, निवासी गांव अजीतपुर तहसील रूपवास

4/6 सरोज पुत्री किशनाराम पत्नी राकेश कुमार जाति काछी, निवासी सौंख तहसील व जिला मथुरा

5. सूरजवती वेवा छाजूराम जाति काछी, निवासी चहल तहसील बयाना

6. अचनसिंह पुत्र छाजूराम जाति काछी, निवासी चहल तहसील बयाना

7. चन्द्रमोहन पुत्र छाजूराम जाति काछी, निवासी चहल तहसील बयाना

8. मूलों वेवा गुट्टीराम जाति काछी निवासी चहल तहसील बयाना (मृतक)

9. नानगाराम पुत्र गुट्टीराम जाति काछी निवासी चहल तहसील बयाना (मृतक)

9/1 रामदेई पत्नी स्व. नानगाराम जाति काछी निवासी चहल तहसील बयाना

9/2 हीरासिंह पुत्र स्व. नानगाराम जाति काछी निवासी चहल तहसील बयाना

9/3 गंगा स्व. नानगाराम जाति काछी निवासी चहल तहसील बयाना

9/4 भवानी स्व. नानगाराम जाति काछी निवासी चहल तहसील बयाना

9/5 रामकली पुत्री स्व. नानगाराम पत्नी भूरा जाति काछी निवासी महलपुरा वंशी बागरी तहसील रूपवास

9/6 माया पुत्री स्व. नानगाराम पत्नी चेतू जाति काछी निवासी महलपुरा वंशी बागरी तहसील रूपवास

9/7 अनारदेई पुत्री स्व. नानगाराम पत्नी पप्पू जाति काछी निवासी नगला अजीतपुर (भैसा) तहसील रूपवास

9/8 जामन्ती पुत्री स्व. नानगाराम पत्नी बबुआ जाति काछी निवासी नगला अजीतपुर (भैसा) तहसील रूपवास

9/9 बबली पुत्री स्व. नानगाराम पत्नी गोपाल जाति काछी निवासी नयावास बैर तहसील बैर जिला भरतपुर

बनाम

1. पदमसिंह पुत्र मेंढू जाति काछी निवासी चहल तहसील बयाना
2. हरीसिंह पुत्र मेंढू जाति काछी निवासी चहल तहसील बयाना
3. सम्पी पुत्री मेंढू पत्नी फौजीराम जाति काछी, निवासी झालाटाला तहसील वैर
4. महाराजी पुत्री मेंढू पत्नी रामसिंह जाति काछी, निवासी शेरपुर तहसील हिन्डौन सिटी जिला करौली
5. किशनवाई पुत्री मेढू पत्नी रामेश्वर जाति काछी निवासी शेरपुर तहसील हिन्डौन सिटी जिला करौली
6. गजराज पुत्र बलराम जाति काछी निवासी चहल, तहसील बयाना, जिला भरतपुर
7. लाखन पुत्र बलराम जाति काछी निवासी चहल, तहसील बयाना, जिला भरतपुर
8. मनरूप पुत्र बलराम जाति काछी निवासी चहल, तहसील बयाना, जिला भरतपुर
9. नरेन्द्र पुत्र बलराम जाति काछी निवासी चहल, तहसील बयाना, जिला भरतपुर
10. मंगलिया वेवा बलराम जाति काछी निवासी चहल, तहसील बयाना जिला भरतपुर
11. बृजेश पुत्री बलराम पत्नी जगदीश जाति काछी निवासी सहने का नगला तहसील रूपवास जिला भरतपुर
12. ओमवती पुत्री बलराम पत्नी जीवन जाति काछी निवासी सहने का नगला तहसील रूपवास जिला भरतपुर

13 घन्सेराम पुत्र मंगू जाति काछी निवासी चहल, तहसील बयाना जिला भरतपुर

14. समन्दर पुत्र मंगू जाति काछी निवासी चहल, तहसील बयाना जिला भरतपुर

15 थानसिंह पुत्र तुरसी जाति काछी निवासी चहल, तहसील बयाना जिला भरतपुर

16. महेन्द्रसिंह पुत्र तुरसी जाति काछी निवासी चहल, तहसील बयाना जिला भरतपुर

17 बनयसिंह पुत्र तुरसी जाति काछी निवासी चहल, तहसील बयाना जिला भरतपुर

18 नानगी वेवा तुरसी जाति काछी निवासी चहल, तहसील बयाना जिला भरतपुर

वाद इश्तकार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 टीनैन्सी एक्ट

निर्णय दिनांकः– 5/12/25

उपस्थितिः– श्री प्रेमशंकर सिंघल एड0 वादीगण

वादीगण द्वारा यह वाद इश्तकार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 टीनैन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सजरा सहूलियत के लिये दावा में पेश किया गया हैं। पुराना आराजी खसरा नम्वर 375 कुल रकवा 52 बीघा 13 विस्वा ग्राम चहल तहसील बयाना में स्थित है जिसके दो मिन नम्वर क्रमशं 375 मिन रकवा 15 बीघा एवं 375 मिन रकवा 37 बीघा 13 विस्वा के अलग इन्द्राज खातेदारी रहे है। पुराने खसरा संख्या 375 मिन रकवा 37 बीघा 13 विस्वा की वाबत वपादीगण एवं मवासी बगैरह द्वारा अपने 1/3 हिस्सा की खातेदारी व कब्जेकाश्त की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता के लिए प्रतिवादीगण के पूर्वज मेंढू, घन्से, बलराम, समन्दर, तुरसी इत्यादि के विरूद्व मुकदमा नम्बर 77/98, 331/87 दायर किया गया तथा मुकदमा नम्बरी 76/98, 330/87 उनवानी मेढूं बगै0 बनाम पुन्नाराम बगै0 व मुकदमा नम्बरी 80/99 उनवानी रामखिलाडी बनाम मेंढू बगैरह कन्सोलीडेट किये जाकर वादीगण की ओर दायर मुकदमा नम्बर 77/98, 331/87 न्यायालय ए.सी.एम बयाना से दिनांक 07.08.2001 को डिक्री किया गया एवं अन्य दोनों मुकदमा खारिज किये गये ।इन तीनों मुकदमों की अपील संख्या 322/01 उनवानी मेढू बगैरह बनाम पून्याराम बगैरह एवं अपील संख्या 324/01 उनवानी मेढूं बनाम रामखिलाडी बगैरह न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा दिनांक 04.05.2007 को खारिज की जा चुकी है। पुराने खसरा संख्या 375 मिन रकवा 15 बीघा के हाल के बन्दोवस्त के बाद बन्दोवस्त कर्मियों/अधिकारियों द्वारा नवीन खसरा संख्या 740/1.31, 741/0.65, 795/0.20, 797/0.27 किता 4 कुल रकवा 2.43 बना दिये गए है। वादीगण पुराने खसरा संख्या 375 मिन रकवा 15 बीघा को अपने पूर्वजों के समय से अर्सा जायद पचासों वर्षो से पहले से जिस स्थान पर वहैसियत खातेदार काश्त करते व जोतते बोते चले आ रहे है, उस स्थान पर बन्दोवस्त कर्मियों/अधिकारियों द्वारा नवीन खसरा संख्या 743/0.01, 744/0.30, 790/0.28, 791/0.10, 792/0.10, 793/0.15, 794/0.30, 795/0.20, 796/0.32, 797/0.27 एवं 742/1.32, से रकवा 0.40 हैक्ट. बनाये है। तथा उक्त भूखण्डों की डोलमेढ तभी से उसी स्थान पर कायम चली आ रही है। वादीगण का उक्त रकवा 15 बीघा एक ही स्थान पर रहा है। अलग–अलग स्थानों पर नहीं रहा है। बन्दोवस्त विभाग द्वारा मुताबिक कब्जा राजस्व रिकार्ड में दर्ज न कर गलत रूप से कब्जे के विपरीत इन्द्राज कर दिए है जो कलमजन कर दुरूस्त किये जाने योग्य है क्योंकि बन्दोवस्त विभाग को साविक इन्द्राजों एवं कब्जे के अनुसार ही इन्द्राज करने चाहिए थे क्योंकि सक्षम न्यायालय के आदेश बिना परिवर्तन करने का बन्दोवस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं है। वादीगण के पिता, पति, ससुर व दादा स्व0 श्री गुट्टीराम द्वारा अपने जीवनकाल में अर्सा 35–36 वर्ष पहले रकवा 15 बीघा में गैरमुमकिन चाह का निर्माण कराया गया उसे बन्दोवस्त विभाग द्वारा नवीन खसरा संख्या 743/0.01 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है इस चापह पुख्ता में श्री गुट्टीराम के नाम का बीजक भी लगा हुआ है। इसी खसरा नम्बर में श्री गुट्टीराम का दाह संस्कार किया गया जिसका चबूतरा भी मौके पर वना हुआ है तथा उक्त खसरा नम्बर में वादीगण की झोपडी पाटोरपोश व शीशम का पेड स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में से नवीन खसरा संख्या 795/0.20, 797/0.27 पर तो वादीगण की खातेदार का इन्द्राज रैवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है किन्तु शेष खसरा नम्बरान में वादीगण की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं कर प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज खातेदारी मौके के विपरीत व गलत दर्ज कर दी गई है जिसे वादीगण अपने हक में दर्ज करा परने के अधिकारी है। विवादित आराजी खसरा नम्बरान मुन्दर्जे मद नं 6 दावा पर वादीगण वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है तथा उपरोक्त गलत इन्द्राजों को दुरूस्त कराने के लिए वादीगण द्वारा कई बार सभी प्रतिवादीगण से कहा लेकिन प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे है एवं

दुरूस्ती की कार्यवाही नहीं की। अब अन्त में सभी प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 06.07.2008 को ग्राम चहल में खुले आम धमकी दी किवे विवादित आराजी को अन्य किसी भी व्यक्ति को रहन, वय मुन्तकिल कर देगें व विवादित आराजी से बेदखल कर देगें जबकि विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। विवादित आराजी पर वादीगण वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। यही वजह वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व घोषणा वहकूक खातेदारी एवं हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री जारी करा पाने के अधिकारी है। विवाद का कारण वादीगण को दिनांक 06.07.2008 को खुलेआम ग्राम चहल में धमकी देने से पैदा हुआ है।

अन्त में आराजी खसरा नम्बर 743/0.01, 744/0.30, 790/0.28, 791/0.10, 792/0.10, 793/0.15, 794/0.30, 795/0.20, 796/0.32, 797/0.27 एवं 742/1.32, से रकवा 0.40 हैक्ट. वाके ग्राम चहल तहसील बयाना जिला भरतपुर में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने। 743/0.01, 744/0.30, 790/0.28, 791/0.10, 792/0.10, 793/0.15, 794/0.30, 795/0.20, 796/0.32, 797/0.27 एवं 742/1.32, से रकवा 0.40 हैक्ट. वाके ग्राम चहल तहसील बयाना जिला भरतपुर पर सभी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किये जाने कि वे वादीगण के उक्त खसरा नम्बरान के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत बेजा न करें एवं ऐसा कोई कार्य न करे जिससे वादीगण के हक व हकूकों पर विपरित असर पडे।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 6 लगायत 10 व 13 लगायत 18 की ओर से दिनांक 08.08.2008 को श्री मुकेशचन्द शर्मा एड. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण 15, 16, 17 की आरे से कोई भी एड0 उपस्थित नहीं होने एव ना ही कोई पक्षकार उपस्थित होने आदेशिका दिनांक 27.01.2025 से उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादीगणों की ओर से श्री यादराम शर्मा एड0 ने दिनांक 08.08.2008 को वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना जबाव दावा दिनांक 29.09.2008 को पेश कर अपने विशेष विवरण में अंकित किया है कि विवादित खसरा नम्बर पुराना 375 की बाबत इन्ही पक्षकारान के मध्य कालान्तर में तीन दावे नम्बरी 76/98, 77/98 व 78/98 न्यायालय ए.सी.एम बयाना से निर्णित होकर अपील राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है अतः दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 10 सी0पी0सी0 उपरोक्त अपीलों के निर्णय तक स्थगित किये जाने योग्य है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 375 रकवा 52 बीघा 13 विस्वा पर पुराने रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2014 में प्रतिवादीगण के पूर्वज नत्थी एवं चिरंजी का मालिक के खाने में मालिक के रूप में इन्द्राज है जबकि कृषक के खाने में नत्थी व चिरंजी वहिस्सा बरावर 1/2 व मैडू व मंगू पिसरान चिरंजी वहिस्सा बरावर 1/2 दर्ज रिकार्ड है जिसमें इनको 47 बीघा 8 विस्वा का काश्तकार माना गया है शेष 5 बीघा पर गुट्टीराम काश्तकार के खाने में दर्ज रिकार्ड है इस प्रकार वादीगण का दावे में दिया गया विवरण तथ्यों के विपरित दर्ज किया गया है अतः वादीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये है इसलिये दावा वादीगण निरस्त किये जाने योग्य है। दावा वादीगण फर्दर एण्ड बेटर पार्टिक्यूलर्स का मोहताज है इसलिये वादीगण का दावा इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण में दावा, जबाब दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई:-

तनकी-1 आया आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 375/52.13 ग्राम चहल तहसील बयाना जिसके दो मिन नम्बर 375 मिन/ 15.00 एवं 375 मिन/ 37.13 के अलग अलग इन्द्राज खातेदारी रहे है।

तनकी-2 आया वादीगण का पुराने खसरा नम्बर 375/15.00 को अपने पूर्वजों के समय से अर्सा जायद 50 वर्षो से पहले से जिस स्थान पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते जोतते बोते चले आ रहे है तथा उस स्थान पर बन्दोवस्ती कर्मियों द्वारा खसरा नम्बर 743/0.01, 744/0.30, 790/0.28, 791/0.10, 792/0.10, 793/0.15, 794/0.

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

30, 795/0.20, 796/0.32, 797/0.27 एवं 742/1.32, से रकवा 0.40 हैक्ट बनाये गये है।

तनकी– 3 आया वाद वादीगण में फर्दर एण्ड बैटर पार्टिक्यूलर्स का मोहताज है इस कारण दावा खारिज योग्य है।

तनकी–4 आया वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा 06.07.2008 को दावा हाजा की मद संख्या 9 में अंकित धमकी दी है।

तनकी–5 दादरसी

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण द्वारा प्रदर्श 01 जमाबन्दी 2063–66, प्रदर्श 2 जमाबन्दी 2063–66, प्रदर्श 3 जमाबन्दी 2063–66, प्रदर्श 4 जमाबन्दी 2043–46, प्रदर्श 5 मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग, प्रदर्श 6 नक्शा रियासत कालीन, प्रदर्श 7 नक्शा किश्तवार, प्रदर्श 8 नकल मौका रिपोर्ट मिसल सं0 41/98 दिनांक 05.05.2001 ए.सी.एम बयाना, प्रदर्श 9 राजस्व मण्डल अजमेर से जारी नकल प्रमाणित निर्णय प्रति, प्रदर्श 10 डिक्री निर्णय दिनांक 07.08.2001, प्रदर्श 11 भूप्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 07.08.2001 की नकल प्रमाणित प्रति, जो मण्डल द्वारा जारी की गई है। प्रदर्श 12 मौका रिपोर्ट दिनांक 12.07.2011, प्रदर्श 13 लगा0 17 मौके पर खीचे गये फोटा, प्रदर्श 18 फोटोग्राफर की रसीद पेश की। मौखिक साक्ष्य में PW 1 चन्देराम, PW 2 रामखिलाडी, PW 3 बनैसिंह ने अपने शपथ पत्र पेश किये। जिरह PW 1 चन्देराम कराई गई, एवं गवाह PW 2, PW 3 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यवादी में शपथ पत्रों का सत्यापन कराया। आदेशिका दिनांक 27.01.2025 से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवही होने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी में कोई दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये।

बहस विद्वान अभिभाषक एड0 वादी की एकपक्षीय सुनी गई। एड0 वादी ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये संलग्न साक्ष्यों का अवलोकन कराया।

तनकीबार विवेचन निम्नानुसार हैः–

तनकी–1 **आया आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 375/52.13 ग्राम चहल तहसील बयाना जिसके दो मिन नम्बर 375 मिन/ 15.00 एवं 375 मिन/ 37.13 के अलग अलग इन्द्राज खातेदारी रहे है। :–** इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 5 जो मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किया गया था कि तहसीलदार बयाना द्वारा प्रमाणित प्रति जारी की गई अनुसार पुराने खसरा नम्बर 375 के दो मिन खसरा नम्बर 375 रकवा 15 बीघा एवं मिन खसरा नम्बर 375 रकवा 37 बीघा 13 विस्वा बनाए गए है। मिन पुराने 375 743/0.01, 744/0.30, 790/0.28, 791/0.10, 792/0.10, 793/0.15, 794/0.30, 795/0.20, 796/0.32, 797/0.27 एवं 742/1.32, से रकवा 0.40 हैक्ट व 740/1.31, 741/0.65, 795/0.20, 797/0.27 किता 4 कुल रकवा 2.43 वाके ग्राम चहल तहसील बयाना बनाए गए है। जिरह वादी PW 1 चन्देराम ने भी अने जिरह में यह बयान कलमबद्व कराए है कि खसरा नम्बर 375 का पुराना खसरा नम्बर 375 मिन है 375 के दो नम्बर थे 375 मिन रकवा 15 बीघा एंव 375 रकवा 37 बीघा 13 विस्वा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 5 मिलान क्षेत्रफल भूप्रवन्ध विभाग से यह सिद्व है कि मिन खसरा नम्बर 375 के दोन मिन खसरा नम्बर 375 रकवा 15 बीघा एवं 375 रकवा 37 बीघा 13 विस्वा बनाए गए है प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी के खण्डन बावत कोई दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किए। अतः यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी–2 **आया वादीगण का पुराने खसरा नम्बर 375/15.00 को अपने पूर्वजों के समय से अर्सा जायद 50 वर्षो से पहले से जिस स्थान पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते जोतते बोते चले आ रहे है तथा उस स्थान पर बन्दोवस्ती कर्मियों द्वारा खसरा नम्बर 743/0.01, 744/0.30, 790/0.28, 791/0.10, 792/0.10, 793/0.15,**

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

794/0.30, 795/0.20, 796/0.32, 797/0.27 एवं 742/1.32, से रकवा 0.40 हैक्ट बनाये गये है। :– इस तनकी को भी सिद्व करने का भार वादीगण के उपर ही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 अनुसार खसरा नम्बर 797/0.27 पर मूला वेवा गुट्टीराम हिस्सा 1/10, पून्नाराम, नानगाराम, बाबूलाल, छाजूराम, चन्देराम, किशनाराम पिसरान गुट्टीराम समभाग हिस्सा 9/10 कौम काछी सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो वादीगण की खातेदारी में दर्ज अभिलेख है। प्रदर्श 2 जमाबन्दी 2063–66 अनुसार खसरा नम्बर 743/0.01, 744/0.30, 790/0.28, 791/0.10, 792/0.10, 793/0.15, 794/0.30, 795/0.20, 796/0.32, 797/0.27 एवं 742/1.32, से रकवा 0.40 हैक्ट मेडू पुत्र चिरंजी हिस्सा 1/3, घंसे, बलराम, समन्दर, पिसरान मंगू वहिस्सा बराबर, 1/3 तुरसी पुत्र चिंरजी हिस्सा 1/12, थानसिंह पुत्र तुरसी हिस्सा 1/4 कौम काछी सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 4 जमावन्दी 2043–46 अनुसार खसरा नम्बर मिन 375 रकवा 15 बीघा गुट्टी बल्द दूल्हेराम कौम काछी सा.देह खातेदार दर्ज है। जो वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 12 मौका कमीश्नर रिपोर्ट है अनुसार 743/0.01, 744/0.30, 790/0.28, 791/0.10, 792/0.10, 793/0.15, 794/0.30, 795/0.20, 796/0.32, 797/0.27 एवं 742/1.32, से रकवा 0.40 हैक्ट मेडू पुत्र चिरंजी 1/3, घन्से, समन्दर पिसरान मंगू 2/3, मंगलिया पत्नी बलराम 1/63, राजाराम, लाखन, मनरूप, नरेश पिसरान बलराम 6/63, तुरसी पुत्र चिरंजी 1/12, थानसिंह पुत्र तुरसी 14 कौम काछी खातेदार तथा खसरा नम्बर 795/0.20, 740/1.31, 741/0.65 थलेश कुमार, चन्द्रशेखर पिसरान शिवसिह सरपरस्त माता गुड्डीदेवी पत्नी शिवसिंह 3/20 मूलो वेवा गुट्टीराम 1/10, पून्याराम, बाबूलाल, चन्देराम, किशनाराम पिसरान गुट्टीराम हिस्सा बराबर 12/20, सूरजवती पत्नी छाजूराम, अचलसिंह, चन्द्रमोहन, पिसरान छाजूराम, लक्ष्मी पुत्री छाजूराम हिस्सा बराबर 3/27 कौम काछी सा.देह खसरा नम्बर 997/0.27 मूलो बेवा गुट्टीराम, पून्याराम, नानगाराम, बाबूलाल, चन्देराम, किशनाराम पिसरान गुट्टीराम समभाग 15/20, सूरजवती पत्नी छाजूराम, अचलसिंह, चन्द्रमोहन पिसरान छाजूराम, लक्ष्मी पुत्री छाजूराम हिस्सा बराबर 3/20 कौम काछी सा.देह खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 740, 741 गुड्डीदेवी पत्नी शिवसिंह 3/20 आदि के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त सभी खसरा नम्बर साविक खसरा नम्बर 375 से बनाए गए है। खसरा नम्बर 743/0.01 में कुआ बना है। उसके बीजक लगा है। जिमें श्रीराम के गुट्टीराम सुपुत्र दूल्हेराम काछी सा चहल तहसील बयाना जिला भंरतपुर में इस कुए का निर्माण अपनी जमीन की शेराबी करने हेतु बनाया गया है। खसरा नम्बर 742/1.32 ये 0.36 हैक्ट. पर वादी तथा 0.96 हैक्ट. पर प्रतिवादीगण मौके पर काश्त कर रहे है। खसरा नम्बर 744, 743, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797 पर वादीगण काश्त कर रहे है। खसरा नम्बर 740/1.31, 741/0.65 पर प्रतिवादीगण की काश्त बताई गई है। चूंकि वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 743/0.01, 744/0.30, 790/0.28, 791/0.10, 792/0.10, 793/0.15, 794/0.30, 796/0.32 के सम्पूर्ण हिस्सा व खसरा नम्बर 742 रकवा 1.32 हैक्ट से 40 ऐयर की खातेदारी काश्तकार घोषित कराने बाबत यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया है। उक्त आराजी प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न प्रदर्श 09, 10 अनुसार खसरा नम्बर 375 वाके ग्राम चहल तहसील बयाना बाबत मुकदमा नम्बर 77/98/333/87 मवासी आदि बनाम मेढू बगैराह मुकदमा नम्बर 76/98/333/87 उनवानी मेडू आदि बनाम पून्याराम बगैराह मुकदमा नम्वर 80/99 उनवानी रामखिलाडी बनाम मेडू बगैराह न्यायालय सहायक कलक्टर बयाना द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.08.2001 से मिन खसरा नम्बर 375 रकवा 37 बीघा 13 विस्वा निर्णित किया गया था। उक्त निर्णय विरूद्व अपील वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में जैरकार है। जारी प्रमाणित नकलो(मण्डल) से सिद्व है। वादीगण मिन खसरा नम्बर 375 के दो मिन नम्बर 375 रकवा 15 बीघा एवं 375 रकवा 37 बीघा 13 विस्वा बनाए गये है मे से मिन खसरा

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

नम्बर 375 रकवा 15 बीघा के जो नवीन खसरा नम्बर बनाए गए है के रकवा 1.32 हैक्ट में से 40 हैक्ट की खातेदारी घोषणा कब्जे के आधार पर चाहते है। वादीगण द्वारा मिन आराजी खसरा नम्बर 375 रकवा 15 बीघा के जो नवीन खसरा नम्बर बनाए गए है के रकवे में से 40 ऐयर की खातेदारी किस–किस खसरा नम्बर से कितनी–कितनी चाही है। अपने वाद पत्र में उल्लेखित नहीं किया है। साथ ही विवादित आराजीयात मिन खसरा नम्बर 375 के दो नवीन मिन खसरा नम्बर 375 रकवा 15 बीघा एवं 375 रकवा 37 बीघा 13 विस्वा बनाए गए है मे से पूर्व में माननीय न्यायालय सहायक कलक्टश्र बयाना द्वारा तीन मुकदमा दर्ज होने पर अपने निर्णय दिनांक 07.08.2001 से निर्णित किया गया है। उक्त निर्णय की द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में पूर्व के निर्णित दावों का अन्तिम निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा नहीं हो जाता तब कब्जे के आधार पर वादीगण को चाही गई आराजीयात में किसी प्रकार की दादरसी दिया जाना न्यायिक व प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरित है। चूंकि आराजीयात का मूल मिन नम्बर 375 ही है। यह तनकी विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी– 3 **आया वाद वादीगण में फर्दर एण्ड बैटर पार्टिक्यूलर्स का मोहताज है इस कारण दावा खारिज योग्य है।**:– इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण का है। विवादित आराजीयात के मिन खसरा नम्बर 375 रकवा 37 बीघा 13 विस्वा बाबात अपील मण्डल में जैरकार है। इसी मिन नम्बर 375 रकवा 15 बीघा बाबत वादीगण द्वारा यह दावा खातेदारी घोषणा बाबात पेश किया है। ऐसी स्थिति में पुराने मिन खसरा नम्बर 375 रकवा 15 बीघा एवं 375 रकवा 37 बीघा 13 विस्वा बाबात न्यायालय हाजा के निर्णय विरूद्व मण्डल में जैरकार अपील निस्तारित नहीं हो जाती अथवा अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता किसी प्रकार की दादरसी वादीगण को दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्व वादीगण तय की जाती है।

तनकी–4 **आया वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा 06.07.2008 को दावा हाजा की मद संख्या 9 में अंकित धमकी दी है।**:– इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण का है। वादीगण केअपने वाद पत्र की मद संख्या 10 में विवाद का कारण वादीगण को दिनांक 06.07.2008 को खुलेआम ग्राम चहल में धमकी देने पर पैदा हुआ है का अंकन किया है। परन्तु वादी ने यह अंकित नहीं किया है कि उक्त तिथि को धमकी वादीगण को किसके द्वारा दी गई। प्रतिवादीगण द्वारा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट नहीं है। वादीगण द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों PW 1, PW 2, PW 3 में कही भी प्रतिवादियों द्वारा वादीगण को दिनांक 06.07.2008 को धमकी देने का उल्लेख नहीं किया है एव ना ही PW 1 ने अपनी जिरह में इस बाबत कोई बया नही कलमबद्व कराए है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादीगण तय की जाती है।

चूंकि तनकी नम्बर 01 वादीगण (जो पक्षकारान की कॉमन तनकी है।) व तनकी 2, 3, 4 प्रतिवादीगण के हक में विरूद्व वादीगण तय हो चुकी है। अतः वाद वादीगण खारिज योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक......5/12/25.........को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना